

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक: 15.10.2006

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2026-27

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा
की नियम एवं शर्तें



कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता



दिनांक

.....

.....

.....

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

G.M. (Admin)

M.M.S.S.K. Ambikapur

**माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)**

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा वर्ष 2026-27

निविदा प्रपत्र

ई-निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1003(05)

दिनांक 14/10/2026

ऑन लाईन ई-निविदा क्रमांक 201994

पेराई सत्र 2026-27 के लिए राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा आंमंत्रित की जाती है।

1	पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स
2	फर्म का पता	
3	निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 1311.00 (एक हजार तीन सौ ग्यारह रुपये मात्र) वापसी योग्य नहीं है को http://eproc.cgstate.gov.in में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 16/10/2026 को शाम 07.00 बजे से दिनांक 29/10/2026 को समय दोपहर 12.00 बजे तक http://eproc.cgstate.gov.in पे जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड/अपलोड कर सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 29/10/2026 को समय दोपहर 02.00 बजे के बाद।

6. अमानत/ई.एम.डी. राशि - निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु राशि रुपये 60,000.00 रुपये (शब्दों में :- साठ हजार रुपये मात्र) कारखाने के खाते में (खाता नं 50100497159999 HDFC Bank Ambikapur, IFSC Code -: HDFC0009495) में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। RTGS/NEFT/TRANSFER के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी। ई.एम.डी. राशि जमा की पावती को ई-निविदा के भाग-1, ई0एम0डी0 भाग में संलग्न करना अनिवार्य होगा।



प्रबंध संचालक

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम-केरता
राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा वर्ष 2026-27

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम :
2. पता :
3. मोबाईल नं. :
4. ई-मेल आई.डी. :
5. जी.एस.टी. नम्बर
(छायाप्रति संलग्न करें) :
6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर
(छायाप्रति संलग्न करें) :
7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक :
8. वैधता की तिथि :
9. बैंक का नाम :
10. खाता क्रमांक :
11. ई.एम.डी. जमा राशि : शब्दों में.....
12. यू.टी.आर. नम्बर :
13. कारखाने का बैंक एवं शाखा :
- (जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)



निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर

—:: निविदा की शर्तें ::—

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1003(05)

दिनांक 14/10/2026

1. निविदाकार को भाग-2, तकनीकी भाग में निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तों) का समस्त पेज में सील एवं हस्ताक्षर कर संलग्न करना होगा। एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, वैध लेबर ठेकेदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्रमिकों का जीवित बीमा की छायाप्रति, 01 ट्रेक्टर स्वयं का या अनुबंधित होने पर 50 रुपये के भारतीय गैर न्यायीक स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र सहित उक्त ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन एवं जीवित बीमा की छायाप्रति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में से किसी तीन वर्ष का किन्तु लगातार वर्ष का आयकर रिटर्न अथवा बैलेन्सशीट अथवा आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. श्रम विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग लेबर लाईसेन्स की आवश्यकता होती है। नियमानुसार राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग का कार्य हेतु कायदेशि प्राप्ती के पश्चात श्रम विभाग से कम से कम 15 मजदूरों का लेबर लाईसेन्स प्राप्त कर 15 दिवस के अन्दर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य 24 घण्टे का है इस कार्य हेतु 01 ट्रेक्टर स्वयं का या अनुबंधित होने पर भारतीय गैर न्यायीक स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र एवं उक्त ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा संलग्न कर निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ट्रेक्टर में लगने वाला डीजल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराना होगा कारखाना से डीजल नहीं दी जावेगी।
5. भाग-2, तकनीकी भाग में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं भाग-3, व्यावसायीक भाग में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।

6. राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य का दर प्रति ट्रेक्टर प्रति दिवस समस्त लेबर सहित, जी.एस.टी. अतिरिक्त दिया जावेगा, जी.एस.टी. के



अतिरिक्त अन्य प्रकार के टैक्स ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा, एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कारखाना को जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नहीं मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।

7. बॉयलर हाउस से राखड़ को हटाने के लिए लगाए गये मजदूरों का बीमा कराया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर कारखाना प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।
8. राखड़ को नर्सरी में वॉच टावर के पास अथवा चीफ इंजीनियर/चीफ केमिस्ट/गन्ना विभाग के अधिकारी के बताये गये स्थान पर सुव्यवस्थित स्थान पर रखना होगा। उसके अलावा अन्य किसी स्थान या रास्ते में डाले जाने पर या गिर जाने पर 20,000 रुपये (बीस हजार) की राशि कटौती की जायेगी।
9. राखड़ के लिए प्रत्येक पाली में बायलर के नीचे 02 मजदुर एवं E.S.P के नीचे 02 मजदुर रखना अनिवार्य है।
10. ब्यायलर के नीचे एवं E.S.P के नीचे एवं राखड़ में नियमित रूप से पानी मारते रहना अनिवार्य होगा।
11. राखड़ में प्रत्येक पाली में मजदूर एवं ट्रैक्टर नहीं पाये जाने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. बॉयलर हाउस और E.S.P फ्लोर के नीचे एवं आस-पास नियमित रूप से सफाई करना अनिवार्य है।
13. आई.डी. एफ.डी. एवं चिमनी R.O के आस-पास और बॉयलर के आस-पास का रास्ता नियमित रूप से सफाई करना अनिवार्य होगा। अगर किसी कारण सफाई नहीं हुआ तो उस दिन का भुगतान नहीं किया जायगा।
14. राखड़ हैण्डलिंग के लिए प्रत्येक पाली में 01 ट्रैक्टर/01 ड्राईवर रखना अनिवार्य होगा। नहीं पाये जाने पर उस दिन की राशि भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. आवश्यकता पड़ने पर लाईम को ETP तक पहुंचाने का कार्य करना आपको अनिवार्य होगा।



16. राखड़ हैंडलिंग कार्य की देख-रेख हेतु एक सुपरवाइजर रखना अनिवार्य होगा जिसको कार्य का रिपोर्टिंग बॉयलर इंचार्ज एवं शिफ्ट इंजीनियर को देना अनिवार्य होगा।
17. राखड़ निर्धारित जगह पर अलग-अलग क्रमानुसार सुव्यवस्थित रूप से रखना अनिवार्य होगा, गन्ना विभाग के अधिकारी के स्वीकृति के बाद ही बिल का भुगतान किया जायेगा।
18. निर्धारित स्थान पर आवश्यकतानुसार राखड़ को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु प्रत्येक पाली में आवश्यकतानुसार मजदूर रखना अनिवार्य होगा।
19. अपने मजदूरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सामाग्री एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
20. प्रत्येक मजदूर को हेलमेट, सेफ्टी शुज, गॉगल, युनिफार्म, मास्क एवं ठेकेदार के साईन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
21. कार्य में नियोजित मजदूरों का नियोजन करने से पूर्व नाम, पता, मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
22. प्रत्येक पाली के अनुसार अपने मजदूरों का हाजरी का मास्टर सुपरवाइजर को रखना अनिवार्य होगा जिसमें प्रति पाली प्रति दिन बॉयलर इंचार्ज/शिफ्ट इंजीनियर/चीफ इंजीनियर का साईन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।
23. कारखाना प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
24. निर्धारित संख्या में मजदूर का नियोजन नहीं करने एवं ट्रैक्टर नहीं लगाने पर कार्य में अवरोध होने की स्थिति में अवरोध के अनुपात में राशि की कटौती की जा सकेगी। नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने पर भविष्य में कार्य के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा एवं ई.एम.डी. की जप्ती तथा निविदाकार/ठेकेदार को भविष्य के लिए कालीसूची में डालने की कार्यवाही की जा सकेगी।
25. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।



26. प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कायदेशि निरस्त करने सम्बंधी पूर्ण अधिकार होगा।



निविदाकार ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं.....फर्म.....
प्रतिनिधि का नाम.....पिता का नाम
.....फर्म का पता.....
.....मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करूंगा।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कायदेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रुपये कारखाना के खाता क्रमांक में राशि रुपये.....दिनांक.....को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।



निविदाकार का हस्ताक्षर